

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवा-2/3(क)/2(01)/588/वा0स्थाना0/2024-25 दिनांक 22 जुलाई, 2024

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 198739/ xxx(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, शासनादेश संख्या: 221278/xxx(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या: 1016/xxiv-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण काउन्सिलिंग के माध्यम से किये जाने के उपरान्त एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के अनुसार उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा महिला शाखा (लेवल-8 वेतनमान रु0 47600-151100) समूह-‘ग’ में निम्नांकित प्रवक्ताओं को उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(ख)(एक), 17(1)(ख)(दो), 17(1)(ख)(चार) एवं 17(1)(ख)(पांच) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय/संस्था में उनके द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

प्रवक्ता संवर्ग (महिला शाखा)

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय / संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय / संस्था का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्रेणी-1 गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग स्वयं अथवा पति-पत्नी					
1	सुनीता पुरोहित	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 गोपेश्वर, चमोली	रा0बा0इ0का0 रानी पोखरी, देहरादून	रिक्त पद के प्रति
2	कौसर जहां	गृह विज्ञान	रा0क0इ0का0 कोटद्वार, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 मंगलौर, हरिद्वार	-तदैव-
3	डा0 नीलम सैनी	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 द्वाराहाट, अल्मोड़ा	रा0बा0इ0का0 सुल्तानपुर, बाजपुर, ऊ0सि0न0	-तदैव-
4	प्रेमलता जोशी	नागरिक शास्त्र	रा0क0इ0का0 भिकियासैण, अल्मोड़ा	रा0बा0इ0का0 धौलाखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल	-तदैव-
5	विनीता रावत	रसायन	रा0क0इ0का0 कोटद्वार पौड़ी,	रा0बा0इ0का0 भगवानपुर, हरिद्वार	-तदैव-
6	कुसुमलता वर्मा	इतिहास	डायट भीमताल, नैनीताल	रा0बा0इ0का0 किशनपुर, नैनीताल	-तदैव-
7	कमला विष्ट	हिन्दी	रा0क0इ0का0 बाड़ेछीना, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 अल्मोड़ा	-तदैव-
8	डॉ० जया काण्डपाल	गणित	रा0बा0इ0का0 अल्मोड़ा	रा0बा0इ0का0 पन्तनगर, ऊ0सि0न0	-तदैव-
9	लक्ष्मी तड़ियाल	नागरिक शास्त्र	रा0बा0इ0का0 नन्दानगर, चमोली	रा0बा0इ0का0 थत्यूड़, टिहरी	-तदैव-
10	ज्योति सैनी	अर्थशास्त्र	रा0बा0इ0का0 धीरवाली, हरिद्वार	रा0बा0इ0का0 रूड़की, हरिद्वार	-तदैव-

2

क्र०सं०	प्रवक्ता का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय / संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय / संस्था का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

श्रेणी-2 मानसिक रूप से विकसित एवं लाचार बच्चों के माता-पिता द्वारा अनुरोध

1	मनीषा गैरोला	अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० नन्दानगर, चमोली	रा०बा०इ०का० देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
---	--------------	----------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------

श्रेणी-4, उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी

1	बिन्दु कोहली	नागरिक शास्त्र	रा०बा०इ०का० रानीखेत, अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
2	शोभा देवी	संस्कृत	रा०क०इ०का० फाजिलपुर, महारौला, ऊधम सिंह नगर	रा०बा०इ०का० दौलिया, हल्द्वानी नैनीताल	-तदैव-

श्रेणी-5, विधवा, विधुर, परित्यक्ता, तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिक

1	ममता	गृह विज्ञान	रा०क०इ०का० भिकियासैण, अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० रानीपोखरी,	रिक्त पद के प्रति
2	मनीषा शॉ	अंग्रेजी	रा०क०इ०का० मासी, चौखुटिया, अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० भटेलिया, धारी, नैनीताल	-तदैव-
3	शीतल सैनी	अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० लोहाघाट, चम्पावत	रा०बा०इ०का० भगवानपुर, हरिद्वार	-तदैव-
4	लक्ष्मी पांगती	भूगोल	रा०बा०इ०का० खेतीखान, पाटी, चम्पावत	रा०बा०इ०का० बनभूलपुरा, हल्द्वानी, नैनीताल	-तदैव-
5	लता जोशी	संस्कृत	रा०बा०इ०का० बौराड़ी नई ⁶ टिहरी, चम्बा टि०ग०	रा०बा०इ०का० नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	-तदैव-
6	इन्द्रा बुटोला	इतिहास	रा०बा०इ०का० बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल,	रा०बा०इ०का० पौड़ीनगर, पौड़ी	-तदैव-
7	ममता मेहता	अर्थशास्त्र	रा०बा०इ०का० खेतीखान, पाटी, चम्पावत	रा०बा०इ०का० खटीमा, ऊधम सिंह नगर	-तदैव-
8	मीना आहूजा	अर्थशास्त्र	रा०क०इ०का० एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल	रा०बा०इ०का० ऋषिकेश, देहरादून	-तदैव-


2



2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रवक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. स्थानान्तरित प्रवक्ता दिनांक 01 अगस्त, 2024 तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रवक्ता नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।
2. उक्त स्थानान्तरण निजी व्यय पर किया गया है, इस हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. स्थानान्तरित प्रवक्ता द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु दिनांक 25 जुलाई, 2024 तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को ई-मेल edusewa12@gmail.com के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
4. उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून, 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्षों/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।


22/07/2024

(डॉ० मुकुल कुमार सती)


संयुक्त निदेशक(सक्षम प्राधिकारी),

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं०: सेवा-2/3(क)/2(01)/१४१४ -११०४ वा0स्थाना0/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
8. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि विभागीय वेबसाइट से स्थानान्तरण आदेश प्राप्त कर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य के माध्यम से संबंधित प्रवक्ताओं को स्थानान्तरण आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/संस्थाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, संबंधित विद्यालय/संस्था (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति स्थानान्तरित शिक्षक को प्राप्त करवा कर पावती संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित प्रवक्ताओं को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
11. प्रभारी एम0आई0एस0, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. आदेश गार्ड फाईल।


22/07/2024

(डॉ० मुकुल कुमार सती)

संयुक्त निदेशक(सक्षम प्राधिकारी),

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड